संरक्षा शाखा
सोलापुर मंडल

Safety Branch
Solapur Division

संरक्षा परिपत्र
Safety Circular
18/2018-19

विषय:--मिड सेक्शन में असहाय गाडियोंकी सुरक्षा –संबंधित महत्वपूर्ण मदों का उध्दरण।

Sub:- Protection of trains stranded in mid-section – Extracts of relevant important item.

दिनांक/Date : 21.01.2019

मध्य रेल मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय

संरक्षा शाखा सोलापुर ,

संख्या /एसएफटी/सोला :103 दिनांक: 21.01.19

संरक्षा परिपत्र क्र.18/20-1819

सभी संबंधित - सोलापुर मंडल

विषय :- मिड सेक्शन में असहाय गाड़ियों की सुरक्षा संबंधित महत्वपूर्ण मदों का उध्दरण। -

****

साधारण नियम 6. 03- स्टेशनों के बीच रुकी गाडियों की रक्षा -

यदि किसी दुर्घटनाअवरोध या किसी अन्य असाधारण कारण से कोई गाड़ी स्टेशनों के बीच ,खराबी , खड़ी हो जाती है और लोको पायलट को लगता है कि गाड़ी आगे नहीं जा सकतीहै तो वह निर्धारित कोड़ में सीटी बजाकर या वॉकी टॉकी या अन्य साधनों द्वारा गार्ड को इस बात से अवगत कराएगा - और उस से खतरे के हैंड सिगनलों का आदान प्रदान करेगा। इसके पश्चात गार्ड गाड़ी के पीछे की ओर तुरंत खतरे का हैण्ड - सिगनल प्रदर्शित करेगा और जांच करेगा कि टेल बोर्ड या टेल लैम्प सही तरह से प्रदर्शित किए गए है और अपने ब्रेक यान के पीछे यदि फ्लैशर लाइट लगा हुआ हो 'ऑन' तो उसे ,करेगा । गार्ड और लोको पायलट शुध्दिपत्र संख्या - 2 के मद संख्या -1 के अनुसार तुरंत कार्रवाई करेगा।

साधारण नियम 6.0**4**- असाधारण रुप से विलंबिंत गाडियों -

1) यदि पिछले स्टेशन से, कोई सवारी गाड़ी साधारणत: निर्धारित समय से 10 मिनट के भीतर और माल गाड़ी 20 मिनट के भीतर वहां नहीं पहुचती है तो अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर तुरंत इस बात की सूचना पिछले स्टेशन को और नियंत्रण कार्यालय को देगा। इसके बाद दोहरी (डबल) लाइन या बहु (मल्टीपिल) लाइनों पर,ब्लाक सेक्शन के दोनों ओर के स्टेशन मास्टर पास वाली लाइन या लाइनों पर ब्लाक सेक्शन में किसी तरफ से भी आने वाली सभी गाड़ियों को तुरंत रोक देंगे और उपयुक्त सतर्कता आदेश जारी करके ऐसी गाडियों के लोको पायलट और गार्डों को चेतवानी देंगे और साथ ही विलंबित गाड़ी का पता ठिकाना और स्थिति मालुम करेंगे ।

साधारण नियम 6.0**5** - 2 खराब इंजन को मदद पहुंचाना :-

(क) जब इंजन खराब हो जाए तो गार्ड लोको पायलट से मालुम करेगा कि सहायक इंजन मंगवाने की आवश्यकता है या नहीं। यदि लोको पायलट 30 मिनट में ठीक कर देगा, तो वह गार्ड को इस बात की सूचना देगा । यदि इससे अधिक समय लगने की संभावना हो, तो गार्ड या सहायक नियम 6.05 - 1 के अनुसार एक सहायक इंजन मंगवाने की सूचना सबसे समीप के स्टेशन को अवश्य भेजनी चाहिए।

(ख) सहायता प्राप्त करने के लिये संदेश भेजने के पश्चात यदि लोको पायलट खराबी ठीक कर ले और गाड़ी दुबारा चलाने की स्थिति में हो तो लोको पायलट खण्ड नियंत्रक/स्टेशन मास्टर से अनुमति मांगेगा। यदि इंजन ने ब्लाक सेक्शन में प्रवेश नहीं किया हो तो सहायता इंजन को रोक कर खण्ड नियंत्रक/स्टेशन मास्टर द्वारा रोक दिया जायेगा और लोको पायलट की गाड़ी चलाने की अनुमति ट्रेन नोटिस नम्बर/प्राईवेट नंबर के साथ दे दी जायेगी ऐसी दशा में लोको पायलट अपनी गाड़ी को सर्तकता पूर्वक अगले ब्लाक स्टेशन में ले जायेगा।

जब तब लोको पायलट को खण्ड नियंत्रक/स्टेशन मास्टर द्वारा ट्रेन नोटिस नंबर / प्राईवेट नंबर नहीं मिल जाता, वह अपनी गाड़ी को नहीं चलायेगा एवं सहायता इंजन की प्रतीक्षा करेगा ।

(ग) जब किसी इंजन के गंतव्य स्थान तक पहुंचने की संभावना न हो, तो लोको पायलट को सहायक इंजन मांगने के लिए तुरंत कहना चाहिए।

(घ) यदि किसी सवारी गाड़ी का इंजन सेक्शन में खराब हो जाये, तो गाड़ी को अलग अलग भागों में नहीं बांटना चाहिए। सहायक नियम 6.03-1 के अनुसार गाड़ी का बचाव करने के पश्चात एक सहायक इंजन अवश्य मंगवाना चाहिए । इंजन के साथ जुडी हुई गाड़ी को तब तक रोके रखना चाहिए जब तक सहायता न आ जाये । इसके बाद सहायक इंजन को जोड़कर गाडी को अगले ब्लाक स्टेशन तक ले जाना चाहिए, जहां लोको पायलट निर्णय करेगा कि क्या वह लोड को सिर्फ अपने इंजन से आगे ले जा सकेगा। या सहायक इंजन को जोड कर दो इंजनों को साथ आगे ले जायेगा।

<u>साधारण नियम 6.0**8** - गाडी का विभाजन :-</u>

(1) यदि गाड़ी चलने के दौरान उसका कोई भाग उससे अलग हो जाता है तो :-

(क) लोको पायलट यथासंभव गाड़ी के अगले भाग को तब तक चलाता रहेगा जब तक कि वह यह न समझ ले कि गाड़ी का पिछला भाग रुक गया है जिससे कि दोनों भागों के आपस में टकराने की कोई संभावना न रहे और निर्धारित कोड में सीटी देकर गाड़ी के विभाजन की सूचना गार्ड को देगा।

(ख) गाड़ी के पिछले भाग में गार्ड या गार्डो द्वारा :-

(I)अगले भाग से टक्कर बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेंगे ।

(II)यदि हैंड ब्रेक है तो तुरंत उन्हे लगा दिया जायेगा, तथा

(ग) यदि कोई उच्चालक (बैकिंग) इंजन हो तो, उसका लोको पायलट गाड़ी के पिछले भाग को रोक देगा और अगले भाग के लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने के लिए निर्धारित कोड में सीटी बजाएगा ।

(2) गाड़ी के पिछले भाग के रुकते ही गाड़ी का गार्ड, आगे और पिछे दोनों ही ओर नियम 6.03 के अनुसार गाडी के उस भाग की रक्षा करेगा और हैंड ब्रेकों को लगाकर तथा यदि आवश्यक है और विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित किया गया है, गुट्टी रोक (स्प्रेग) तथा जंजीरों के प्रयोग से वाहनों को स्थिर स्थिति में रखने के लिए कार्य करेगा।

(3) गार्ड दिन में हरी झंडी और रात्रि में सफेद बत्ती यथासंभव अधिक से अधिक ऊपर और नीचे बार बार हिलाकर गाडी के विभाजित हो जाने का संकेत देगा।

(4) जब विभाजित गाड़ी के दोनों भाग एक दूसरे से दिखाई पड़ने वाली दूरी में रुक कर खडे हो जाते है और उन्हें जोड़ना संभव और निरापद (सुरक्षित) है तो गाड़ी को गार्ड के हैंड सिगनलों की सहायता से, पर्याप्त सतर्कतापुर्वक जोड दिया जायेगा परंतु यह तब जब गाड़ी के पिछले भाग को भली प्रकार स्थायी रखने के लिए उपनियम (2) में बताई गई रीति से आवश्यक सावधानी बरती जाए।

(5) यदि विभाजित गाड़ी का लोको पायलट अगले भाग को रोक सकने के पूर्व ही अगले ब्लाक स्टेशन पर पंहुच जाता है तो वह तुरंत गाड़ी के विभाजित होने की चेतावनी स्टेशन मास्टर को और रास्ते में यदि कोई केबिन मिलता हो तो उसके कार्यभारी रेल सेवक को भी देगा और मूर्त (टन्जिबिल) प्रस्थान प्राधिकार को, यदि कोई है, तब तक नहीं छोडेगा जब तक कि ब्लाक सेक्शन उसकी गाड़ी के सभी वाहनों से क्लियर नहीं जो जाता ।

(6) इस नियम में गार्ड के विनिर्दिष्ट कर्तव्य उसकी अनुपस्थिति में लोको पायलट को करने होंगे ।

(सुरेश कुमार एन टी)
वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी/सोलापुर